

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-अजमेर/2018/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्व0 श्री आनन्द प्रकाश सैन, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, भीलवाडा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.02.1991 है, तथा दिनांक 20.02.2009 को 18 वर्षीय एसीपी देय है परन्तु कार्मिक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण कर्मचारी को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 20.02.2009 के स्थान पर दिनांक 20.02.2010 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2800 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-अजमेर/2018/2808

दिनांक : 11/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, भीलवाडा।
3. श्रीमति संजू सैन पत्नि स्व0 श्री आनन्द प्रकाश सैन, कनिष्ठ सहायक पोस्ट ऑफिस के पीछे, वार्ड नं.-6, गंगापुर, तहसील सहाडा, भीलवाडा।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर